

R.T.I. 5710 8/13
खरिज

47.

आदेश - पत्रक

अनुसूची 14 फार्म नं० 562

देखे अभिलेख 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक संख्या.....ता०.....हल्का.....
 अंचल का नाम.....जिला.....
 दाखिल खारिज वाद संख्या.....वर्ष.....

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के चारे में टिप्पणी तारीख सहित												
1	2	3												
<p>10/8/13</p>	<p>श्री. राजेश्वर सिंह वल्ल. 600. राम लाल सिंह ग्राम. 600. हरियाणा थाना. 600. हरियाणा जिला. 600. हरियाणा केवाला नं०. 5985 दिनांक. 02/15/02 के आधार पर निम्नांकित जमीन पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खसरा नं०</th> <th>एराजी</th> <th>लगान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>हरियाणा</td> <td>136</td> <td>95</td> <td>39</td> <td>5/11/82</td> <td>3-50</td> </tr> </tbody> </table> <p>मूल आवेदन-पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दें। महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक. 30/8/13 को उपस्थित करें।</p> <p>लिखाया एवं शुद्ध किया। अंचल अधिकारी। खुशरुपुर, प. ट. ना।</p>	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खसरा नं०	एराजी	लगान	हरियाणा	136	95	39	5/11/82	3-50	<p>2</p>
मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खसरा नं०	एराजी	लगान									
हरियाणा	136	95	39	5/11/82	3-50									
<p>23/8/13</p>	<p>रूफ का जमीन है। प्रतिवेदनानुसार वाद अस्वीकृत किया जा रहा है।</p> <p>महाल पर तामिल नोटिश प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदक के नाम पर दाखिल खारिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज अस्वीकृत किया जाता है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें।</p> <p>लिखाया एवं शुद्ध किया। अंचल अधिकारी। खुशरुपुर, प. ट. ना।</p>	<p>2</p>												